



## अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या-63/16-17  
(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा-4(H)के अन्तर्गत)

| आदेश की तिथि | पदाधिकारी का आदेश  | अभ्युक्ति |
|--------------|--|-----------|
|              | <p>—: आदेश :-</p> <p>इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भ० (दिशा निर्देश)-95/2016, 2074/रा० राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13. 05.2016 के आलोक में अपर समाहर्ता पाकुड़ के आदेश ज्ञापांक 479/रा० दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरुआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निर्देश के आलोक में मौजा खॉपुर थाना संख्या-262 अनाबादी खाता संख्या-166 दाग संख्या-737 रकबा-08 बीधा 15 कट्ठा 09 धूर किस्म-पोखर राजस्व पंजी-॥ के होल्डिंग संख्या-3/52 में जावेद अली शेख ग्राम-खॉपुर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के कायम जमाबंदी विलोपन हेतु प्रारम्भ किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा राजस्व दस्तावेज एवं स्थलीय जॉचोपरान्त अनुशंसित जॉच प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा खॉपुर थाना संख्या-262 अनाबादी खाता संख्या-166 दाग संख्या-737 रकबा-08 बीधा 15 कट्ठा 09 धूर विगत सर्वे खतियान में किस्म-पोखर कहकर दर्ज है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि बिना आधार प्रविष्टि एवं साक्ष्य दस्तावेज के राजस्व पंजी-॥ में जमाबंदी फर्जी तरिके से जमाबंदी कायम की गई है, जो भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने हेतु सरकारी भूमि को हड्डपने कब्जा करने का प्रयास है। संबंधित जमाबंदी रैयत को इस कार्यालय के ज्ञापांक-470/रा० दिनांक-12.07.2016 से अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज समर्पित करने हेतु दिए गए निर्देश के आलोक में जमाबंदी रैयत के द्वारा अपने दावे के पक्ष में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समर्पित जॉच प्रतिवेदन आलोक में मौजा खॉपुर थाना संख्या-262 अनाबादी खाता संख्या-166 दाग संख्या-737 रकबा-08 बीधा 15 कट्ठा 09 धूर किस्म-पोखर की राजस्व पंजी-॥ के होल्डिंग संख्या 3/52 में जावेद अली शेख ग्राम-खॉपुर अंचल महेशपुर के नाम कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है। स्वीकृत्यादेश हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ को भेजें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p><br/>अंचल अधिकारी<br/>महेशपुर</p> <p><br/>अंचल अधिकारी<br/>महेशपुर</p> |           |